

भा0कृ0अनु0परि0- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी(उ0प्र0)

एच.ए.ओ./50वीं/आई.एम.सी./2024-25

दिनांक: 05.03.2025

परिपत्र

इस संस्थान में कार्यरत समस्त विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्यवक(चारा फसलों इकाई)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों एवं इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों तथा इन विभागों/इकाईयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कराये जाने के संबंध में संस्थान प्रबंध समिति की 50वीं बैठक दिनांक 29.08.2024 को रखे गये ऐजेण्डा आइटम के अनुसार तैयार किये गये कार्यवृत्त को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित करते हुए एवं तदनुसार इस संबंध में परिषद को JENYA HOSPITAL, Opp. Gate No.1, MLB Medical College, Jhansi द्वारा संस्थान के स्टॉफ एवं उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की अनुमोदित दरों पर मेडिकल अटेंडेंस एवं उपचार के बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग की सुविधाएँ प्रदान कराये जाने के संबंध में भेजे गये प्रस्ताव को परिषद द्वारा अनुमोदित करते हुए पत्र संख्या CS/16/5/2024-FFC(e.no. 335477) दिनांक: 09.10.2024 के माध्यम से इस प्रयोजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरांकित चिकित्सालय से दिनांक 13.12.2024 को इस संबंध में निर्धारित की गयी शर्तों के अनुसार एम.ओ.यू. किया जा चुका है।

अतः संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस चिकित्सालय से चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूर्ण करने पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।

1. जेन्या हॉस्पिटल, गेट नं0 1 के पीछे, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी से स्वयं की मेडिकल अटेंडेंस/उपचार की सुविधा (बाह्य रोगी विभाग एवं अंतः रोगी विभाग दोनों के संबंध में) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी अपने स्वयं के परिचय-पत्र को अस्पताल की संबंधित डेस्क पर प्रस्तुत करने के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं।
2. पारिवारिक आश्रितों को इन चिकित्सालयों से सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु संस्थान के स्थापना अनुभाग से अगल से परिचय पत्र का प्रारूप वांछित दिशा-निर्देशों सहित परिपत्रित किया जायेगा।
3. संस्थान के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को मेडिकल अटेंडेंस/उपचार इत्यादि की सुविधाएँ सी.जी.एच.एस की अनुमोदित दरों पर संबंधित अस्पतालों को उपचार के पूर्व भुगतान करने के आधार पर प्राप्त हो सकेंगी जिसकी वापसी का भुगतान उन्हें सी.जी.एच.एस/सी.एस(एम.ए) की दरों एवं वास्तविक व्यय, में से जो भी कम धनराशि होगी, की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जायेगी।
4. यदि किसी भी स्टॉफ अथवा उसके पारिवारिक आश्रितों को इस अस्पताल में भर्ती (IPD मरीज हेतु) करना पड़ता है तो इसकी सूचना संस्थान प्रशासन को देना आवश्यक होगा।

यह परिपत्र सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है।


मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष
Chief Adm. Officer & Head of Office
भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झाँसी (उ0प्र0)

वितरण:

1. सभी विभागाध्यक्षों/परियोजना समन्यवक(चारा फसलों)/वरि. वित्त एवं लेखाधिकारी/सभी अनुभागों के सहा0 प्रशा0 अधिकारीगण/सभी इकाईयों के प्रभारी अधिकारियों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने विभाग/अनुभाग/इकाई में कार्यरत सभी स्टॉफ को परिपत्रित करने का कष्ट करें।
2. निदेशक, जेन्या हॉस्पिटल, गेट नं0 1 के पीछे, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी(उ0प्र0)
3. संस्थान वेबसाइट एवं ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड।